

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

ब्लॉक नं. 4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर – 302015 राजस्थान

वेब साईट <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

ई. मेल hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2706736

क्रमांक: एफ1(2)(8)/PS/DCE/2024-17341/

दिनांक:

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान ।

विषय:- महाविद्यालय शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के संबंध में स्प्रेडशीट पर सूचना उपलब्ध करवाने बाबत ।

सन्दर्भ:- उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प.12(5)शिक्षा/ग्रुप-3/2024-04055 (RajKaj Ref No. 10738040)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति के लिए संकाय सदस्यों की कठिनाई कम करने हेतु यूजीसी विनियम 2010 या 2018 के अन्तर्गत विचार में रखे जाने का विकल्प दिये जाने की अवधि दिनांक 31.12.2024 किये जाने तथा कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु ओरियेन्टेशन/रिफ्रेशर कोर्स में दिनांक 31.12.2023 तक छूट दिये जाने से लाभान्वित होने वाले शिक्षकों की सूचना स्प्रेडशीट CAS-2010 – Courses Rebate पर दिनांक 18.10.2024 तक उपलब्ध करवाने का श्रम करावें ।

प्राचार्य महाविद्यालय की IQAC द्वारा सभी सूचनाओं का प्रमाणीकरण करवाकर स्प्रेडशीट में भरवाना सुनिश्चित करें ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. केशव शर्मा)
संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि प्रभारी वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

Signature valid

(डॉ. केशव शर्मा)
Digitally signed by Dr. Keshav Sharma
Designation: Joint Director
Date: 2024.10.08 22:10:51 IST
Reason: Approved

